

विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल

(Special Schools for Disabled Children)

1. दृष्टिहीन व मूक बधिर बच्चों के लिये गृह , सुन्दरनगर(मण्डी)

अपंग गृह सुन्दरनगर में प्रवेश हेतु प्रार्थना-पत्र

1. बच्चों का नाम.....
2. जन्म तिथि.....(शब्दों में)
3. माता/पिता का नाम.....
4. माता/पिता का व्यवसाय.....
5. जाति.....
6. माता-पिता जीवित न हो तो संरक्षक का नाम व पता व आय(मासिके
7. घर का पूरा पता.....
8. पत्र व्यवहार हेतु पता.....
9. बच्चे की कितनी प्रतिशत अपंगता का विवरण.....
10. आश्रम में प्रवेश हेतु औचित्य.....
11. क्या बालक शिक्षा प्राप्त कर रहा है , यदि हां तो किस कक्षा में.....
12. किसी बिमारी से पीड़ित तो नहीं है.....

हस्ताक्षर

माता-पिता/अभिभावक,

दिनांक.....

नोट:-

1. आमदनी एवं हिमाचली प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया होना चाहिए ।
2. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र पंचायत/कमेटी द्वारा जारी किया होना चाहिए ।
3. बच्चों की अपंगता प्रतिशतता का प्रमाण-पत्र । जिला के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए ।

सत्यापन एवं सिफारिश(तहसील कल्याण अधिकारी अथवा जिला कल्याण अधिकारी) ।